एजुस्किल्स समिट 2026 आयोजित, शिक्षा और कौशल विकास से होगा विकसित भारत का संकल्प पूर्ण-राज्यपाल

जयपुर, 23 सितंबर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास से ही विकसित भारत का संकल्प तेजी से पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी हो, जिससे बच्चों की बौद्धिक क्षमता ही नहीं बढ़े बल्कि वे राष्ट्र निर्माण में सहभागी बन सके। उन्होंने देश के सभी क्षेत्रों में विकास के साथ राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सशक्त किए जाने हेतु शिक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताते हुए इसमें भारत को अग्रणी किए जाने का आह्वान किया।

श्री बागडे बुधवार को एक निजी होटल में एजुस्किल्स समिट में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के

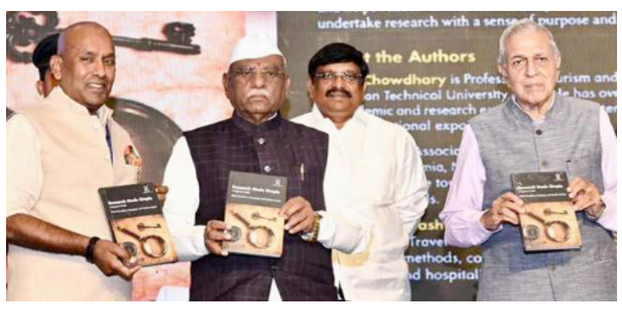

कहे की चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के आत्मिक, शारीरिक और चरित्र का विकास हो। प्राथमिक स्तर से ही इससे जुड़ी शिक्षा दी जानी चाहिए।राज्यपाल ने कहा कि अंग्रेज भारत में आए, उससे पहले देश में आठ लाख गुरुकुल थे। भारतीय शिक्षा पद्धति बहुत अधिक विकसित थी। उन्होंने कहा कि लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति हमारे पर थोपी उससे गुलाम मानसिकता का विकास हुआ। उन्होंने कहा कि इसीलिये विनोबा भावे ने कहा कि आजादी के बाद जिस तरह से आजाद होते ही देश का झण्डा बदला गया, वैसे ही शिक्षा पद्धति बदली जानी चाहिए थी। इसलिए कि अंग्रेजों ने पश्चिम को श्रेष्ठ बताने के साथ धर्म बदलवाने वालों का इतिहास पढ़ाया। यही आजादी के बाद भी पढ़ाया जाता रहा।

राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि पहली बार शिक्षा में इससे आमूलचूल परिवर्तन हुआ। यह राष्ट्र हित में नई पीढ़ी को ज्ञान परंपरा से जोड़ने वाली है।उन्होंने विकसित भारत के लिए प्राचीन ज्ञान से जुड़े कौशल विकास के साथ आधुनिक दृष्टि से कार्य किए जाने पर जोर दिया।

पुलिसकर्मी बनकर बुजुर्ग को दी धमकी, 5 लाख ठगे: इलाज के लिए मुंबई से जयपुर आए थे; वीडियो कॉल कर साइबर ठगों ने बनाया शिकार

जयपुर,वेब वार्ता ।जयपुर में एक बुजुर्ग को साइबर ठगों ने पुलिसकर्मी बनकर धमकी दी। इसके बाद बैंक खाते से 5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित इलाज के लिए जयपुर आया था और रॉयल एम्पोरियल होटल में ठहरा हुआ था।

जवाहर सर्किल थानाधिकारी महेश चंद्र गुर्जर ने बताया- पीड़ित जयंत नारायण (68) निवासी अंधेरी वेस्ट मुंबई इलाज के लिए जयपुर आए थे। जयंत नारायण 10 सितंबर को रॉयल एम्पोरियल होटल में ठहरे हुए थे। इसी दौरान उनके मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉल आया।

कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और बुजुर्ग को धमकाना शुरू कर दिया। आरोपी ने पीड़ित से कहा कि उसके बैंक खाते में मौजूद रकम जमा कराएं, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।बुजुर्ग ने पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। डराकर खाते से ट्रांसफर कराए 5 लाख

आरोपी ने पीड़ित को डराकर उसके बैंक खाते से

करीब 5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ठगों ने पुलिस कार्रवाई का डर दिखाते हुए बुजुर्ग पर दबाव बनाया और रकम अपने बताए खाते में जमा करवा ली। पुलिस अब मोबाइल नंबर, बैंक खाते और ट्रांजेक्शन से जुड़े रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास कर रही है।

कालतीर लिफ्ट परियोजना से 6.25 लाख लोगों को मिलेगा पेयजल

चंबल के अतिरिक्त पानी से भरेंगे पार्वती-रामसागर बांध

धौलपुर,वेब वार्ता ।धौलपुर जिले में कालतीर लिफ्ट परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 800.04 करोड़ रुपए की मंजूर परियोजना के तहत बरसात के दौरान चंबल नदी में उपलब्ध अतिरिक्त पानी को करीब 180 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट कर पार्वती और रामसागर बांधों को पूरा भरा जाएगा।

परियोजना पूरी होने के बाद 483 गांवों और बाड़ी, बसेड़ी व सरमथुरा के शहरी क्षेत्रों की करीब 6.25 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। 642.89 करोड़ के काम का आदेश जारी सरमथुरा तहसील के कालतीर गांव में प्रस्तावित इस परियोजना के लिए 800.04 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद 642.89 करोड़ रुपए के कार्य का आदेश जारी किया गया। परियोजना का निर्माण कार्य 25 मई 2023 को शुरू हुआ था और वर्तमान में निर्माण कार्य जारी है। 10 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, दो पंप हाउस बनेंगे परियोजना के तहत करीब 10 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, दो पंप हाउस, एप्रोच चैनल और 132 केवी जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। परियोजना के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। चंबल नदी के अतिरिक्त पानी को लिफ्ट कर निर्धारित जलाशयों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ढांचागत काम किए जा रहे हैं। 9,123 मीटर पाइप पहुंचा, 530 मीटर लाइन बिछी निर्माण की प्रगति के तहत अब तक करीब 9,123 मीटर डक्टाइल आयरन पाइप परियोजना स्थल पर भेजे जा चुके हैं। करीब 600 मीटर पाइपलाइन के लिए खुदाई और 530 मीटर पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है। इसके अलावा पाइपलाइन, पीएस-2 फाउंडेशन तथा आवासीय और गैर-आवासीय भवनों समेत अन्य निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। 483 गांवों और तीन शहरों को मिलेगा फायदा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार, परियोजना से 483 गांवों और बाड़ी, बसेड़ी व सरमथुरा के शहरी क्षेत्रों की करीब 6.25 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे सरमथुरा, बाड़ी, बसेड़ी, सैंपऊ और

धौलपुर क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। बरसाती पानी का होगा बेहतर इस्तेमाल परियोजना का मुख्य उद्देश्य बरसात के दौरान चंबल नदी में उपलब्ध अतिरिक्त पानी को उपयोग में लाना है। परियोजना पूरी होने के बाद इस पानी को लिफ्ट कर जलाशयों में संग्रहित किया जा सकेगा और जरूरत के अनुसार पेयजल आपूर्ति में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता को लंबे समय करने में मदद मिलेगी।

8 कारें जलीं; 50 से ज्यादा खड़ी थीं शोरूम में, 10 फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे में पाया काबू

जयपुर,वेब वार्ता ।जयपुर में सांगानेर सदर थाना इलाके के सीतापुरा स्थित बालाजी मार्केट में मंगलवार देर रात मर्सिडीज कंपनी के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि वर्कशॉप में खड़ी करीब 8 कार, एसेसरीज और महंगे पार्ट्स जलकर खाक हो गए। आग का धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था।

सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग को फैलने से रोकने के लिए आसपास के क्षेत्र की बिजली सप्लाई भी बंद कराई गई। करीब 10 दमकलों ने 2 दर्जन से ज्यादा फेरे लगाकर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वर्कशॉप में खड़ी थीं 50 से ज्यादा कारें हादसे के समय वर्कशॉप में नई और पुरानी 50 से ज्यादा कारें खड़ी थीं। आग फैलने से पहले फायर ब्रिगेड कर्मियों और पुलिस ने कई कारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। फायर ऑफिसर उषा शर्मा ने बताया कि करीब 10 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका सांगानेर सदर थाना अधिकारी कमलेश शर्मा ने बताया कि कई कारों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।

11 केवी लाइन से टकराई ट्रैक्टर की मशीन

करंट लगने से 3 किसान झुलसे, ट्यूबवेल की मोटर निकालते समय हादसा

बारां,वेब वार्ता ।बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र में रामनगर-रेलावन लाइन पर भभूका गांव के पास खेत में सिंचाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ट्यूबवेल की पानी की मोटर निकालते समय ट्रैक्टर में लगी मशीन ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाईटेंशन लाइन से छू गई। इससे करंट फैल गया और तीन किसान गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में ट्रैक्टर के टायर भी जल गए। मोटर निकालते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, किसान ट्रैक्टर में लगी मशीन की मदद से खेत में ट्यूबवेल की मोटर निकाल रहे थे। इसी दौरान मशीन का ऊपरी हिस्सा ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। लाइन के संपर्क में आते ही तेज करंट मशीन और ट्रैक्टर में फैल गया। इसकी चपेट में आने से वहां काम कर रहे तीन किसान गंभीर रूप से झुलस गए।

पुराने नोट और सिक्कों के बदले ठगी करने वाला गिरोह

जयपुर से 8 आरोपी गिरफ्तार, दो महिलाएं भी शामिल; लाखों रुपए देने का देते थे झांसा

जयपुर, 23 सितम्बर (का.सं.)। जयपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल है।

आरोपी सोशल मीडिया पर पुराने नोट और सिक्कों की फोटो डालकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। फेसबुक पर विज्ञापन देखकर संपर्क करने वाले लोगों को व्हाट्सऐप के जरिए पुराने नोट-सिक्कों के बदले लाखों रुपए मिलने का झांसा देते थे। गिरोह तमिलनाडु, केरल सहित कई राज्यों में लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, फर्जी बैंक चेकबुक और कार भी जब्त की है। कार्रवाई जयपुर नॉर्थ की साइबर सेल और जयालपुर थाना पुलिस ने की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जफेरुद्दीन उर्फ जफेरु (30) निवासी थाना जर, लिश्वरमाने ज (48) मकान नंबर 66/ए, कट्टन स्ट्रीट, कांचीपुरम, तमिलनाडु, श्रीनाथा (49) साउथ अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर-4, कन्नूर, केरल, मारबिरिक (38), सजिदा खान (30) निवासी ग्राम नरपुतवा गाड़ी, [तमिलनाडु], एम. धर्माश (21) मकान नंबर-48, तमिलनाडु, जय लक्ष्मी (45) मकान नंबर 1/5, भारती नगर, थोंडाइमान दुर्ई, तमिलनाडु और फैहिदा बानो (30) मकान नंबर-11, क्राथा मिल्ट फर्स्ट स्ट्रीट, मेलविशारम, थाना अर्कोट टाउन, जिला रानीपेट, तमिलनाडु के रूप में हुई है।

7 दिन का अल्टीमेटम! केकड़ी में थमा कांग्रेस का धरना, मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन: पूर्व मंत्री रघु शर्मा और विधायक विकास चौधरी ने समाप्त कराया पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल का धरना

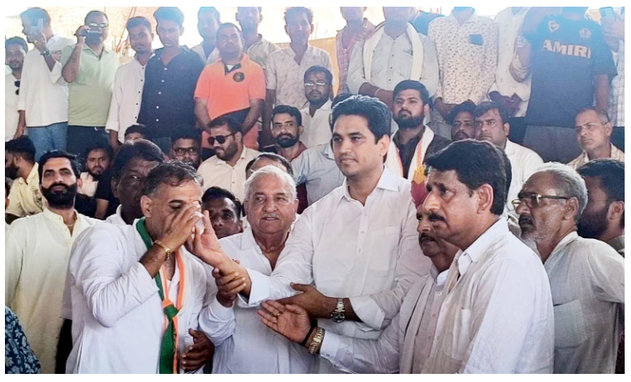

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 23 सितम्बर (दीपांकुर चौहान)। नगर पालिका परिसर में विधायक जनसुनवाई केंद्र के लिए उपयोग किए जा रहे कक्ष को लेकर कांग्रेस का आंदोलन बुधवार को सात दिन का समय दिए जाने के बाद समाप्त हो गया। केकड़ी पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल और के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने कक्ष को पालिकाध्यक्ष का चैंबर बताते हुए उसे खाली कराने की मांग को लेकर धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को मांगों के समाधान के लिए सात दिन का समय दिया है। तय अवधि में समाधान नहीं होने पर आंदोलन को फिर से तेज करने की चेतावनी दी गई।

कक्ष का ताला नहीं खुलने के विरोध में अनिल मित्तल ने बुधवार को केकड़ी बंद का ऐलान किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार में घूमकर व्यापारियों से बंद में सहयोग की अपील की। सुबह कई दुकानें बंद रहीं, लेकिन बाद में बड़ी संख्या में दुकानें फिर खुल गईं। ऐसे में बंद का असर मिला-जुला रहा। धरने के समर्थन में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से कांग्रेस समर्थक और ग्रामीण भी नगर पालिका परिसर पहुंचे। सात दिन का समय दिए जाने के बाद कांग्रेस ने फिलहाल धरना समाप्त कर दिया। इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रघु शर्मा और विधायक विकास चौधरी ने पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया।

कांग्रेस का कहना है कि जनसुनवाई केंद्र के लिए इस्तेमाल किया जा रहा कक्ष पालिकाध्यक्ष का चैंबर है। वहीं भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम की ओर से कक्ष के भवन और उसके पूर्व उपयोग को लेकर अलग पक्ष रखा गया है।

लगातार 37वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष बनाए जाने पर जाट का किया सम्मान

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

चौमूं, 23 सितम्बर (का.सं.)। नगर परिषद क्षेत्र के रेनवाल रोड रेलवे अंडरपास के पास स्थित श्रीवीर तेजाजी धाम विकास समिति के लगातार 37वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष बनाए जाने पर बुधवार सुबह शहर में गढ़ परिसर स्थित चौमू पैलेस में राजस्थान भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक चौमू रामलाल शर्मा, भाजपा मीडिया प्रभारी शैलेंद्र चौधरी, भाजपा युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता हनुमान सहाय बागड़ा, डॉ.सत्यनारायण चौधरी, युवा नेता बलदेव गरेड, होटल मैनेजर शंकर लाल सैनी के द्वारा जाट को माला एवं राजस्थानी आन बान शान का प्रतीक चुनरी का साफा पहनाकर सम्मान किया गया।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार से सम्मानित

नागौर/जयपुर। नागौर जिले के लाड़नूं स्थित जैन विश्व भारती में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के 51वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शिरकत की। इस अवसर पर सामाजिक उत्थान, बालिका शिक्षा एवं जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दीया कुमारी को आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने परमपूज्य आचार्य महाश्रमण से आशीर्वाद प्राप्त किया।

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -IV-ए - ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना

ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना ई-नीलामी-वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित)

रजि. कार्यालय: 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन:-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट:- www.pnbhousing.com

शाखा का पता : पहली मंजिल, राधिका कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन के पास, सीकर - 332001, राजस्थान।

शाखा का पता: पहली मंजिल, प्लॉट नंबर IA-7, तलवंडी, एलन लैंडमार्क बिल्डिंग के पास, कोटा - 324005, राजस्थान।

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(कों) एवं गारंटीकर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां) जो सुरक्षित ऋणदाता को बंधक रखी गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा (जैसा कॉलम संख्या-सी में वर्णित है) ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार **''जहां है जैसा है, जो है जैसा है और जो भी है के आधार पर''** बेचा जाएगा। एतद्द्वारा, संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों, समनुदेशिती(ओं) को सूचित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के संशोधित नियम-8(6) और 9 के अंतर्गत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.pnbhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या का नाम उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता/गारंटर / कानूनी उत्तराधिकारी(ए)	मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (10% का आरपी) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि मात्रा/दर (एच)	निरीक्षण दिनांक और समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ऑनलाइन ऑक्शन ब्रिज कोर्ट केस, यदि कोई हो (के)
एचओएप/आरएसआईके/0925/8351025 आकाश सिंह / लक्ष्मी बाई बी.ओ.: रोशनी सीकर	रु. 1609875 और 10.02.26	भौतिक	सीकर, राजस्थान, वार्ड नंबर 26, पोलो ग्राउंड, रामलीला मैदान के पास (केशव रेसिडेंसी), सीकर, राजस्थान। - 332001	रु. 1834000	रु. 183400	27.10.26	रु. 10,000	15-09-26, 10:00 एएम से 5:30 पीएम	28.10.26, 02.00 पीएम से 3.00 पीएम	*शून्य/ज्ञात नहीं
एचओएप/आरकेओटी/0424/1243468 एवं एनएचएल/आरकेओटी/ 0524/1252360, चेतन कुमार रावल/ तुषार कुमार रावल, बी.ओ.: रोशनी कोटा	रु. 2060299.97 और 15.10.25	भौतिक	संपत्ति मकान नंबर 2 एच 36, महावीर नगर, विस्तार योजना, जिला, कोटा, राजस्थान-324009 पर स्थित है	रु. 2015000	रु. 201500	27.10.26	रु. 10,000	15-09-26, 10:00 एएम से 5:30 पीएम	28.10.26, 02.00 पीएम से 3.00 पीएम	*शून्य/ज्ञात नहीं

*18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा/दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं।** (1.) आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लेखित है। (2.) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। (3.) कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लेखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिफल राशि और संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। (4.) मैसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के संचालन में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। वेबसाइट - **www.bankeauctions.com** संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको **श्री कालू राम और टोल फ्री नंबर** -1800120 8800, **ई-मेल: auction@pnbhousing.com के साथ समन्वय करना होगा, जो पीएनबीएचएफएल का अधिकृत व्यक्ति है या www.pnbhousing.com** देखें।

स्थान:- सीकर, कोटा, दिनांक:- 23.09.2026

एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -IV-ए - ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना

ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना ई-नीलामी-वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित)

रजि. कार्यालय: 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन:-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट:- www.pnbhousing.com

बी.ओ. भिवाड़ी: : पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 165, श्रीनाथपुरम, सेक्टर-ए, कोटा-324010, राजस्थान में स्थित है

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(कों) एवं गारंटीकर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां) जो सुरक्षित ऋणदाता को बंधक रखी गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा (जैसा कॉलम संख्या-सी में वर्णित है) ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार **''जहां है जैसा है, जो है जैसा है और जो भी है के आधार पर''** बेचा जाएगा। एतद्द्वारा, संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों, समनुदेशिती(ओं) को सूचित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के संशोधित नियम-8(6) और 9 के अंतर्गत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.pnbhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या का नाम उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता/गारंटर / कानूनी उत्तराधिकारी(ए)	मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (10% का आरपी) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि मात्रा/दर (एच)	निरीक्षण दिनांक और समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ऑनलाइन ऑक्शन ब्रिज कोर्ट केस, यदि कोई हो (के)
एचओएप/आरकेओटी/0324/1231203, मनोज कुमार और पायल आगवान, बी.ओ. : रोशनी, कोटा	रू.7,76,886.74 और 15-04-2025	भौतिक कब्जा	संपत्ति, पट्टा संख्या 5859, खसरा संख्या 221, ग्राम फुतेहपुर, ग्राम पंचायत बुधखान, पंचायत समिति खेराबाद, कोटा, राजस्थान - 326520 में स्थित।	रु. 8,44,000	रु. 84,400	8/10/2026	रु. 10,000.	29-09-2026, 10:00 एएम- 5:30 पीएम	09.10.2026, 02.00 पीएम - 03.00 पीएम	ज्ञात नहीं है
एचएचएल/आरकेओटी/0824/5056325, महेंद्र सिंह और नंदकवर हाड़ा, बी.ओ.: रोशनी, कोटा	रू.10,39,445.82 और 14-05-2025	भौतिक कब्जा	संपत्ति जो पट्टा नंबर 423, कुन्हाड़ी, तहसील - लाडपुरा, वार्ड नंबर 02, कुन्हाड़ी, राजस्थान, 324005 पर स्थित है।	रु. 10,91,000	रु. 1,09,100	8/10/2026	रु. 10,000.	29-09-2026, 10:00 एएम- 5:30 पीएम	09.10.2026, 02.00 पीएम - 03.00 पीएम	ज्ञात नहीं है

*18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा/दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं।** (1.) आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लेखित है। (2.) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। (3.) कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/ खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लेखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिफल राशि और संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। (4.) मैसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के संचालन में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। **वेबसाइट - www.bankeauctions.com संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको अनमोल मक्कर, टोल फ्री नंबर -1800120 8800, ई-मेल: auction@pnbhousing.com के साथ समन्वय करना होगा, जो पीएनबीएचएफएल का अधिकृत व्यक्ति है या www.pnbhousing.com देखें।**

स्थान:- रोशनी कोटा दिनांक:- 24.09.2026

एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मरी